मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक एफ 8–157–34–2–91–93, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 1993

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मध्यप्रदेश भोपाल.
2. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

विषय:– जल प्रदाय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् संक्षेपिका का प्रारूप.

— X —

वित्त विभाग को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् अनेक योजनाएं वर्तमान में भेजी गई हैं, जिनके परीक्षण उपरान्त उनका अनुरोध है कि एक स्वयं स्पष्ट संक्षेपिका उपलब्ध कराई जाये. जब भी कोई प्रकरण इस प्रकार का उनको प्रेषित किया जाता है तो संक्षेपिका अनुसार जिसमें कि योजना को वस्तुस्थिति के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्ट जानकारी दी जाये :–

1. योजना का नाम
2. मूल स्वीकृत लागत
3. मूल स्वीकृति का वर्ष / क्रमांक
4. प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत
5. मूल तथा पुनरीक्षित लागत का अन्तर
6. अ. क्र. 5 के अन्तर अर्थात् आधिक्य का तुलनात्मक विवरण :

अ.क्र. (1)	प्राक्कलन की मद (2)	मूल स्वीकृति लागत (3)	प्रस्तावित पुनरीक्षित (4)	अन्तर (3-4-5) (5)	आधिक्य / कमी के कारण (6)

7. पुनरीक्षित लागत में ऐसी कितनी मद है जिनकी परिकल्पना मूल प्राक्कलन में नहीं थी तथा अब सम्मिलित किया गया है.
8. अ. क्र. 7 में बताये गये मदों की लागत तथा इनके सम्मिलित करने के कारण.
9. योजना पर प्रस्ताव करते समय अद्यतन कितना व्यय हो चुका है तथा कितना व्यय करना शेष है.
   (1) तक किया व्यय
   (2) शेष काम जो करना है
   (3) प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत
10. योजना पर किये व्यय के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति
    (1) कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है
    (2) कितने प्रतिशत कार्य शेष है